

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक ८/४११२,

जबलपुर, दिनांक ०७/१०/२०१७

निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्रलेखक के पद पर वेतनमान रूपये ९३००—३४८०० + ग्रेड पे रु. ३६००/- पर नियमानुसार समय-समय पर देय भत्तों सहित परीक्षा पर २ वर्ष के लिये निम्नांकित शर्तों के अधीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई स्थापना पर अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :—

क्र.	नाम पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान	पदस्थापना का नाम
1.	श्री प्रवीण कुमार नायक, सहायक ग्रेड तीन (इंग्लिश नोर्झिंग) जिला एवं सत्र न्यायालय, मंडला	खंडपीठ इंदौर
2.	श्री मनीष सक्सेना, सहायक ग्रेड दो मुख्यपीठ जबलपुर	मुख्यपीठ जबलपुर
3.	श्री शैलेन्द्र खम्परिया, सहायक ग्रेड-तीन, मुख्यपीठ जबलपुर	मुख्यपीठ जबलपुर
4.	श्री खेमराज जोशी, सहायक ग्रेड-तीन, खण्डपीठ इंदौर	खंडपीठ इंदौर
5.	श्री शुभाकर मिश्रा, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, मुख्यपीठ जबलपुर	खंडपीठ ग्वालियर
6.	श्री अमित केशरवानी, सहायक ग्रेड तीन, मुख्यपीठ जबलपुर	मुख्यपीठ जबलपुर
7.	श्री सुनील दुबे, सहायक ग्रेड तीन (इंग्लिश नोर्झिंग) जिला एवं सत्र न्यायालय दतिया	खंडपीठ ग्वालियर
8.	श्री शैलेन्द्र कुमार खरे, सहायक ग्रेड तीन, मुख्यपीठ जबलपुर	मुख्यपीठ जबलपुर
9.	कु. प्रिंसी बारैया, सहायक ग्रेड तीन (इंग्लिश नोर्झिंग) जिला एवं सत्र न्यायालय अशोक नगर	खंडपीठ ग्वालियर
10.	श्री सौरभ यादव, सहायक ग्रेड-तीन, खण्डपीठ इंदौर	खंडपीठ इंदौर
11.	कु. शबाना अंसारी, सहायक ग्रेड तीन जिला एवं सत्र न्यायालय शहडोल	मुख्यपीठ जबलपुर
12.	कु. विमा पचौरी, सहायक ग्रेड-तीन, खण्डपीठ इंदौर	खंडपीठ इंदौर
13.	कु. मौनिका शर्मा, सहायक ग्रेड तीन (इंग्लिश नोर्झिंग) जिला एवं सत्र न्यायालय मुरैना	खंडपीठ ग्वालियर
14.	कु. शानू रैकवार सहायक ग्रेड तीन (इंग्लिश नोर्झिंग) जिला एवं सत्र न्यायालय सतना	खंडपीठ ग्वालियर
15.	कु. ऊषा शर्मा, सहायक ग्रेड तीन जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर	मुख्यपीठ जबलपुर
16.	कु. पूनम लौढ़े, सहायक ग्रेड तीन, मुख्यपीठ जबलपुर	मुख्यपीठ जबलपुर
17.	श्री ललित सिंह राणा, सहायक ग्रेड तीन, मुख्यपीठ जबलपुर	मुख्यपीठ जबलपुर
18.	श्री नितेश पाण्डे, सहायक ग्रेड-तीन, (इंग्लिश नोर्झिंग) जिला एवं सत्र न्यायालय नरसिंहपुर, वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर मुख्यपीठ जबलपुर में पदस्थ	मुख्यपीठ जबलपुर

- यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
- यह कि चयनित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे १५ दिवस के अंदर रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर या जिस खण्डपीठ में पदस्थापना की गई है, के कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य दिवस पर यह घोषणा पत्र की मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियों दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेंगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
- यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थीं की मूल प्रतियों को लेकर उपस्थित होंगे। यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करते हैं तो यह आदेश उसके सबै में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा।

4. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। चयनित अभ्यर्थी को स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. यह कि, आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
6. यह कि, उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
7. यह कि, किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
8. यह कि, आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को उनके द्वारा जाति संबंधी प्रस्तुत प्रमाण—पत्र के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है, उसका सत्यापन कराया जावेगा। यदि सत्यापन उपरांत प्रमाण—पत्र फर्जी या कूटरचित पाये गये अथवा यह पाया गया कि उक्त प्रमाण—पत्र के आधार पर उन्हें वर्ग विशेष के लिये आरक्षित पद पर नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं था तो नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
9. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त समझी जावेगी।
10. अभ्यर्थी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय—समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे। अभ्यर्थी से इन सभी शर्तों में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा।
11. यह कि, चयनित अभ्यर्थी पॉच वर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई आवेदन—पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकेगा।
12. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रमाण—पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार

५०/-

(मो. फहीम अनवर)

रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक ०७ / १० / २०१७

पृष्ठांकन क्रमांक C / 4113 /

प्रतिलिपि :-

1. प्रिसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ इंदौर/खंडपीठ ग्वालियर (म.प्र.), की ओर इस आशय के साथ संप्रेषित कि वे उनकी खंडपीठ में नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उपरिवर्णित शर्तों का पालन अभ्यर्थी द्वारा कर लिया गया है तथा 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना तत्काल इस रजिस्ट्री को भिजवाने हेतु एवं नवनियुक्त शीघ्रलेखकों का वेतन निजी सहायक के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने हेतु,
2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मडला, दतिया, अशोकनगर, शहडोल, मुरैना, सतना, जबलपुर, नरसिंहपुर,
3. रजिस्ट्रार प्रशासन / न्यायिक 1 एवं 2 / डी.ई./ई./आई.एल./ (सतर्कता) / एकजाम एंड लेबर ज्यूडिशियरी / कम—पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर,
4. रजिस्ट्रार, आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु

5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर / इन्डौर / ग्वालियर,
 6. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 7. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 8. डिप्टी रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
 9. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इन्डौर / ग्वालियर,
 10. असिस्टेंट रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
 11. अनुभाग अधिकारी स्था./लेखा/बजट/न्यायिक/पेशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 12. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 13. प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार न्यायिक/सतर्कता/(आई.एल.आर. एवं परीक्षा) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 14. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन निर्धारण/डी.पी.एफ. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 15. सहायक वेतन पत्रक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ कि नवनियुक्त शीघ्रलेखकों का वेतन निजी सहायक के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने हेतु
 16. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
 17. उपस्थिति लिपिक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 18. श्री प्रवीण कुमार नायक, सहायक ग्रेड तीन (इंग्लिश नोईंग) जिला एवं सत्र न्यायालय मंडला
 19. श्री मनीष सक्सेना, सहायक ग्रेड दो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 20. श्री शैलेन्द्र खम्परिया, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 21. श्री खेमराज जोशी, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्डौर,
 22. श्री शुभांकर मिश्रा, डाटा एन्ड्री ऑपरेटर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 23. श्री अमित केशरवानी, सहायक ग्रेड तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 24. श्री सुनील दुबे, सहायक ग्रेड तीन (इंग्लिश नोईंग) जिला एवं सत्र न्यायालय, दतिया,
 25. कु. प्रिंसी बारैया, सहायक ग्रेड तीन (इंग्लिश नोईंग) जिला एवं सत्र न्यायालय, अशोक नगर,
 26. श्री सौरभ यादव, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ जबलपुर,
 27. कु. शबाना अंसारी, सहायक ग्रेड तीन, जिला एवं सत्र न्यायालय, शहडोल,
 28. कु. विभा पचौरी, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्डौर,
 29. कु. मौनिका शर्मा, सहायक ग्रेड तीन (इंग्लिश नोईंग) जिला एवं सत्र न्यायालय, मुरैना,
 30. कु. शानू रैकवार सहायक ग्रेड तीन (इंग्लिश नोईंग) जिला एवं सत्र न्यायालय, सतना,
 31. श्रीमती ऊषा शर्मा, सहायक ग्रेड तीन, जिला एवं सत्र न्यायालय, जबलपुर,
 32. कु. पूनम लौंढे, सहायक ग्रेड तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 33. श्री लकित सिंह राणा, सहायक ग्रेड तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
- वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर मुख्यपीठ जबलपुर में पदस्थ,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


 (यू. एस. दुबे)
 रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस.